# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना छिम्पा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 16/2013

1. लखविन्द्र सिह पुत्र सेवक सिह जाति जटसिख निवासी 25 एफ गुलाबेवाला ।

वनाम

--प्रार्थी--

1. अमनदीप कौर पुत्री सेवक सिह पत्नी बलजिन्द्र सिह जाति जटसिख साकिन 13 एच ठडडा तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर।

अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए

--अप्रार्थी--

--निर्णय--

दिनांक : 29/1/2019

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 25 एफ की जमाबंदी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 75/70 के मु0 नं0 9 की कुल 3.479 हैक्टर व मु0 नं0 11 की 5.340 हैक्टर, मु0 नं0 13 की 1.011 हैक्टर, मु0 नं0 24 की 0.632 हैक्टर, मु0 नं0 64/3 की 0.125 हैक्टर गैरमुमकिन खाला मु0 नं0 64/6 की 0.125 हैक्टर गैरमुमकिन खाला, मु0 नं0 64/7 की 0.126 हैक्टर गैरमुमकिन खाला कुल रकबा 10.838 हैक्टर नहरी मय गैरमुमकिन खाला मे प्रार्थी 8.130 हैक्टर रकबा का खातेदार दर्ज है एंव अप्रार्थी संख्या 1 इस खाता मे 1.354 हैक्टर एवं प्रार्थी की पत्नी पवनदीप कौर 1.354 हैक्टर भूमि की खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के वहिन है। प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता सेवक सिह की मृत्यु दिनांक 19.11.1996 को हो चुकी है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी की माता मनजीत कौर जीवित जिसकी सेवा सम्भला प्रार्थी करता है। इस तमाम भूमि पर शुरू से आज तक प्रार्थी का शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। अप्रार्थी के अविवाहित रहने तक प्रार्थी के द्वारा उसका पालन पोषण किया गया। प्रार्थी ने चार पांच वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 की शादी की एवं शादी पर तमाम खर्च कर तमाम स्त्रीधन उसे दिया। अप्रार्थी संख्या 1 की पढाई लिखाई एवं पालन पोषण प्रार्थी के द्वारा किया गया जिससे 15 वर्ष पूर्व अपने नाम की 1.354 हैक्टर भूमि प्रार्थी को सौप कर सम्भला दी जिस पर शुरू से प्रार्थी का कब्जा काश्त रहा है। 15 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 1 ने मौखिक तौर पर घरू बटवारा मे प्रार्थी के हक मे खुशी से त्याग दे दी। इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा करीब 20 वर्षो से शांतिपूर्वक चला आ रहा है जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्व मुखालफाना हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस भूमि का कब्जा लिये जाने बावत आज तक कोई कानूनी कार्यवाही नही की है। प्रार्थी ने इस भूमि को मेहनत करके उपजाउ बनाया है पानी की पर्ची उसके पास है लगान प्रार्थी के द्वारा भरा जा रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी की सगी वहिन है जिसके कारण प्रार्थी ने इस भूमि को राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम दर्ज करवाने बावत कोई कार्यवाही नही की अब अप्रार्थी संख्या 1 के मन मे बेईमानी एवं लालच पैदा हो गया है जिसका अनुचित फायदा उठाकर खुर्दबुर्द करने की फिराक मे है जिसके लिये उसे अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा रोक पाने का एवं खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा पाने का प्रार्थी अधिकारी है। प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को इस भूमि को राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने बावत कहा तो वह टालमटोल करती रही व दिनांक 03.02.2013 को इन्कार कर दिया और कहा कि इस भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर देगी और भूमि को खुर्द बुर्द कर देगी यदि उसने ऐसा किया तो प्रार्थी को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। प्रथमदृष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष मे बनना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी की जावे कि चक 25 एफ की सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 75/70 की कुल 10.838 हैक्टर नहरी मय

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

गैरमुमकिन खाला भूमि मे अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.354 हैक्टर भूमि को रहन बैय व वसीयत करने से निषेध रहे एवं प्रार्थी के कब्जा काश्त मे दखलअन्दाजी नही करे एवं मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की और श्री सतीश अरोडा अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार मद संख्या 1,2 स्वीकार है। मद संख्या 3 इस हद तक स्वीकार है कि अप्रार्थी की बहिन है। पिता सेवक सिह की मृत्यु होना व माता मनजीत कौर का जीवित होना स्वीकार है। शेष मद अस्वीकार है। मद संख्या 4 इस हद तक स्वीकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 माता पिता के जायज वारिस है। अप्रार्थी संख्या 1 की 4-5 वर्ष पूर्व शादी करना व तमाम स्त्रीधन देना एवं बचपन मे पालन पोषण करने के तथ्य गलत दर्ज है। सही यह है कि अप्रार्थीया द्वारा अपनी मर्जी से बलजिन्द्र सिह पुत्र जसकरण सिह से शादी की गई जिसका प्रार्थी द्वारा भरपूर विरोध किया गया और न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर से 97 सीआरपीसी का वारन्ट जारी करवाया। इस वारन्ट की पालना मे अप्रार्थीया ने उपजिला मजिस्ट्रेट श्रीकरणपुर के समक्ष सशपथ ब्यान किया कि वह अपने पति बलजिन्द्र सिह के साथ उसके निवास स्थान 13 एच ठडडा मे रहना चाहती है जिस पर उसे पति के घर पुलिस सुरक्षा मे भेजने के आदेश दिये गये। प्रार्थी के द्वारा पुलिस से मिलीभगत करके अप्रार्थीया के पति व ससुर के विरूद्व 307 आईपीसी मे मुकदमा दर्ज करवाया जो सैशन न्यायालय मे विचाराधीन है जिसमे प्रार्थी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व न्यायालय मे ब्यान दिये गये। मेरी खातेदारी भूमि को 15 वर्ष पूर्व घरू बटवारा मे प्रार्थी को त्यागना कतई गलत है वह इस भूमि की खातेदार मालिक है और उसका कर्जा चला आ रहा है। मद संख्या 5 अस्वीकार है। प्रार्थी का कब्जा मुखाफना कतई गलत है। कानूनन मालिक के विरूद्व प्रतिकूल कब्जा के आधार पर मालिकाना हक प्राप्त करने का अधिकारी नही है। साझा खाता की भूमि है जिसका किलेवाईज विभाजन नही हुआ है। लगान व पानी की पर्ची अप्रार्थी के नाम है। मद संख्या 6 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र झूठे तथ्यो पर पेश किये है। अप्रार्थी इस भूमि की खातेदार मालिक है। जिसे वह किसी प्रकार से मुन्तकल करने के अधिकारी है। मद संख्या 7 अस्वीकार है। प्रथमदृष्टय मामला, सुविधा का सुन्तलन, राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष मे न होकर अप्रार्थी के पक्ष मे होना पाया जाता है।

अतिरिक्त कथन मे निवेदन किया कि चक 25 एफ की जमाबंदी सम्वत 2068 ता 71 के खाता संख्या 75/70 मे 1.354 हैक्टर भूमि की अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार मालिक है। खातेदार मालिक विरूद्व प्रार्थी प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र ला पाने का अधिकारी नही है। जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

जवाब स्टेट पेश नही होने पर बंद किया गया।

बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी के द्वारा अपनी बहस मे प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि भूमि विरास्तन आई हुई है। दावा के दौरान भूमि सुरक्षित रहे इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अपनी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर दावा पेश नही किया जा सकता। अप्रार्थीया स्वंय खातेदार है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे स्त्री की सम्पत्ति स्वअर्जित सम्पत्ति मानी जाती है। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। इस संबंध मे माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त डी.एन.जे 2017 पेज 132 व आर.आर.डी 1990 पेज 212 पेश किये।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादगत भूमि अप्रार्थीया के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है जिसकी वह रिकार्डड खातेदार है। प्रार्थी के द्वारा कोई दस्तावेज भी पेश नही किया है। प्रतिकूल कब्जा के आधार कोई व्यक्ति अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अन्तर्गत कृषि भूमि के संबंध मे कोई खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्तो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा होते है। प्रथमदृष्टय मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं राईट एण्ड टाईटल प्रार्थी के पक्ष मे न होकर अप्रार्थीया के पक्ष मे बनना पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राज.)
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त तथ्यो के विवेचन एवं पत्रावली मे उपलब्ध साक्ष्य सबूत के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार योग्य नही होने पर खारिज किया जाता है एवं प्रकरण मे दिनांक 06.02.2013 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त की जाती है। पत्रावली निर्णित होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.1.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

{श्रीमती रीना छिम्पा आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी {राजस्व}
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner